9-12-22 आज पीठासीन अधिकारी... अन्य स्था० कार्य में व्यस्त
पर है, पत्रावली पूर्वानुसार
दिनांक 2-1-23... को पेश हो

2-1-23 आज पीठासीन अधिकारी... अन्य स्था० कार्य में व्यस्त
पर है, पत्रावली पूर्वानुसार
दिनांक 17.1.23... को पेश हो

17.1.23 [illegible] हो।
आज पीठासीन अधिकारी... अन्य स्था० कार्य में व्यस्त
पर है, पत्रावली पूर्वानुसार
दिनांक 3/2/23... को पेश हो

3/2/23 अधिवक्तागण उपस्थित, अधिवक्तागण
द्वारा बहस प्रस्तुत की गई, बहस
सुनी गई पत्रावली वास्ते निर्णय
हेतु दिनांक 10/2/23 को पेश हो।

10/2/23 अधिवक्तागण उपस्थित, वाद वादी स्वीकार
किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से
लिखवाया जाकर वादी उक्त भूमि
[illegible] वादी द्वारा पर्याप्त हेतु
स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जाने पर डिक्री
जारी हो। पत्रावली नत्थी हो।
पत्रावली आवश्यक पंजिका के क्रम
से [illegible] की जाकर [illegible]
में दाखिल हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्री जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर, प्रशिक्षु आई.ए.एस

वादपत्र संख्या 139/2021
अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. प्रदुमन सिंह पुत्र अंग्रेज सिंह जाति जटसिख निवासी 12 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
2. सखविन्द्र कौर पत्नी अंग्रेज सिंह जाति जटसिख निवासी 12 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) ....वादीगण

ब ना म

1. तेज प्रताप सिंह पुत्र अंग्रेज सिंह जाति जटसिख निवासी 12 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
2. खुशदीप कौर पत्नी प्रदुमन सिंह पुत्र अंग्रेज सिंह जाति जटसिख निवासी 12 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
3. राजवीर कौर पत्नी तेज प्रताप सिंह जाति जटसिख निवासी 12 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर (राज0) ...प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री फलभूर सिंह (वादीगण 1–2)
श्री राज पैरोकार (प्रतिवादी 4)

दिनांक 10 फरवरी, 2023

–निर्णय–

वाद पत्र के तथ्यों के अनुसार चक 8 एच एच के खाता संख्या 67/47 प. न. 0 मुरब्बा नं0 54 के किला नं0 1 ता 4, 5/1, 5/2, 5/3, 6, 7/1, 7/2, 7/3, 8 ता 12, 13/1, 13/4 मुरब्बा नं0 55 के किला नं0 1 ता 10, 11/1, 12/1, 13/, 14/, 15/1 कुल खाता 33 किला में 6.265 हैक्टे0 आराजी नहरी मय खाला दर्ज राजस्व रिकार्ड है। चक 8 एच एच के खाता संख्या 77/2 प. न. 0 मुरब्बा नं0 1 ता 10, 11/1, 12/1, 13/1, 14/1, 15/1 में कुल खाता 15 किला में 2.946 हैक्टे0 नहरी आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। चक 8 एच एच के खाता संख्या 79/60 प. न. 0 मुरब्बा नं0 55 किला नं0 11/2, 12/2, 13/2, 14/2, 15/2, 16 ता 25 कुल 15 किला में 3.161 हैक्टे0 आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। चक 8 एच एच के खाता संया 105/82 प. न. 0 मुरब्बा नं0 25 किला नं0 1 ता 20, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2, मुरब्बा नं0 26 किला नं0 1/2, 1/4, 2 ता 8, 9/1, 9/3, 13/2, 13/3, 14 ता 16, 17/1, 17/3, 25/2, 25/3 कुल खाता 50 किला में 9.487 हैक्टे0 नहरी मय खाला आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। चक 11 एम एल के खाता संख्या 61/16 प. न. 0 मुरब्बा नं0 16 किला नं0 1 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 10, 11/1, 12/1, 13/1, 14/1, 15/2, 15/4 कुल खाता 18 किला में 3.100 हैक्टे0 नहरी मय खाला आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण एंव प्रतिवादीगण आपस में एक ही परिवार के सदस्य हैं। वादीगण एवं प्रतिवादीगण नं अपने नाम दर्ज उक्त आराजी का आपस में घरूं बंटवारा कर रखा है। घरू बंटवारा में वादीगण एवं प्रतिवादीगण को निम्न प्रकार से आराजी प्राप्त हुयी है। चक 8 एच एच के खाता संख्या 67/47 में 1.582 है0 आराजी तेज प्रताप के नाम से दर्ज प्रदुमन सिंह के हिस्सा में आयी है। चक 8 एच एच के खाता संख्या 77/2 में प्रदुमन सिंह के नाम दर्ज 0.982 है0 में 0.567 है0 हिस्सा छोड़कर शेष 0.415 हिस्सा एवं सुखविन्द्र कौर के नाम दर्ज 0.982 है0 आराजी तेज प्रताप सिंह को प्राप्त हुयी है। चक 8 एच एच के खाता संख्या 79/60 में राजवीर कौर के नाम से दर्ज 1.580 है0 आराजी सुखविन्द्र कौर को प्राप्त हुयी है। खुशदीप कौर का हिस्सा यथावत् रहेगा। चक 8 एच एच के खाता संख्या 105/82 में प्रदुमन सिंह के नाम से दर्ज 2.371

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

हैक्टे0 आराजी तेज प्रताप सिंह सिंह को प्राप्त हुआ है। सुखविन्द्र कौर के हिस्से में से 1.518 हैक्टे0 आराजी राजवीर कौर को प्राप्त हुयी है। चक 11 एम एल के खाता संख्या 61/16 में तेजप्रताप सिंह के नाम से दर्ज 1.550 है0 आराजी प्रदुमन सिंह को प्राप्त हुयी है। वादीगण ने घरू बंटवारा में प्राप्त उक्त आराजी को लगातार बिना किसी बाधा के प्रतिवादीगण के देखा देखी शांतिपूर्ण तरीके से काश्त करता आ रहे हैं एवं वादीगण ने उक्त आराजी को कडी मेहनत करके एवं काफी रूपया पैसा खर्च करके अत्याधुनिक तरीके से कृषि करके काफी उपजाऊ बनाया है जिससे प्रतिवादीगण के मन में बदनियत पैदा हो गई है और प्रतिवादीगण राजस्व रिकार्ड की आड़ में वादीगण को सुधार की गयी कब्जा काश्त की आराजी से बेदखल करने की धमकी दे रहे हैं और कई बार उन्होंने वादीगण को उनके कब्जा काश्त की आराजी से बेदखल करने की कोशिश भी की एवं आराजी राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम से दर्ज न होने के कारण वादीगण को पानी की बारी रास्ता आदि को लेकर झगडा रहता है जिससे वादीगण अपने हक व हिस्सा की आराजी को बेझिझक होकर काश्त करने में असमर्थ रहते हैं। इस कारण वादीगण अपनी उक्त कब्जाशुदा घरू बंटवारा में प्राप्त आराजी की राजस्व रिकार्ड में अपने नाम से खातेदारी दर्ज करवा कर इस हद तक प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का नाम इस हद तक तर्क करवाने के एवं अन्य चकों से अपना नाम तर्क करवाने के कानूनन हकदार एवं अधिकारी है। वादीगण ने दिनांक 21.09.2021 को मौजा चक 8 एच एच में बिरादरी की पंचायत बुलाई और प्रतिवादीगण को कहा कि वो वादीगण को घरू बंटवारा में प्राप्त कब्जा काश्त की आराजी की खातेदारी घोषणा राजस्व रिकार्ड में सहमति से वादीगण के नाम से दर्ज करवा कर इस हद तक अपना नाम कलमजन करवा देवे एवं वादग्रस्त आराजी को राजस्व रिकार्ड की आड़ में रहन बैय आदि दीगर तरीके से हस्तांतरित न करें तो उक्त प्रतिवादीगण ने वादीगण की बात मानने से ईकार कर दिया और कहा कि हम तो विवादित आराजी को रहन, बैय आदि दीगर तरीके से मुन्तकिल कर देगे, और वादग्रस्त आराजी वादीगण के नाम से दर्ज नहीं करवायेंगे। प्रतिवादी सं0 04 लैण्ड होल्डर है इसलिए पक्षकार बनाया गया है। दावा जनाब वाला के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो अंदर मियाद पेश किया जा रहा है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री किया जावेः–

(क) चक 8 एच एच के खाता संख्या 67/47 में 1.582 हैक्टे0 आराजी तेज प्रताप के नाम से दर्ज आराजी का प्रदुमन सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त आराजी प्रदुमन सिह के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज की जाकर तेजप्रताप सिंह का नाम तर्क किया जावे।

(ख) चक 8 एच एच के खाता संख्या 77/2 में प्रदुमन सिंह के नाम दर्ज 0.982 हैक्टे0 मे 0.567 है0 हिस्सा छोडकर शेष 0.415 हिस्सा एवं सुखविन्द्र कौर के नाम दर्ज 0.982 है0 आराजी का तेज प्रताप सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में तेजप्रताप सिंह के नाम से खातेदारी दर्ज की जाकर 0.415 हैक्टे0 आराजी से प्रदुमन सिंह का एवं 0.982 हैक्टे0 आराजी से सुखविन्द्र कौर का नाम तर्क किया जावे।

(ग) चक 8 एच एच के खाता संख्या 79/60 में राजवीर कौर के नाम से दर्ज 1.580 हैक्टे0 आराजी सुखविन्द्र कौर को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त आराजी सुखविन्द्र कौर के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज की जाकर राजवीर कौर का नाम तर्क किया जावे एवं खुशदीप कौर का हिस्सा यथावत् रहेगा।

(घ) चक 8 एच एच के खाता संख्या 105/82 में प्रदुमन सिंह के नाम से दर्ज 2.371 है0 आराजी तेजप्रताप सिंह को खातेदार काश्तकार एवं सुखविन्द्र कौर के हिस्से में से 1.518 हैक्टे0 आराजी राजवीर कौर को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर उक्त आराजी उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे तथा प्रदुमन सिंह का नाम तर्क किया जावे तथा शेष हिस्सा सुखविन्द्र कौर का यथावत रहेगा।

(ड) चक 11 एम एल के खाता संख्या 61/16 में तेजप्रताप सिंह के नाम से दर्ज 1.550 हैक्टे0 आराजी का प्रदुमन सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर

Scanned with OKEN Scanner

उक्त आराजी उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाकर तेजप्रताप सिंह का नाम तर्क किया जावे।

(च) अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे।

दिंनाक 04.10.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान ग्राम पंचायत 8 एच एच में पक्षकारान द्वारा उपस्थित आकर राजीनामा मय शपथ पत्र एवं अपने अपने पहचान पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई। पक्षकारान की शिनाख्त सरपंच ग्राम पंचायत 8 एच एच द्वारा की गई। अतः राजीनामा के तथ्यो के अनुसार प्रकरण में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर गांव के मौजूज व्यक्तियों ने प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्षकारान का आपस में राजीनामा करवा दिया है, अब वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य कोई विवाद नहीं रहा है। अतः वादीगण एवं प्रतिवादीगण उक्त वाद को निम्न प्रकार से डिक्री करवाना चाहते हैं:—

(क) पटवार हल्का 8 एच एच, चक 10 एच एच के खाता संख्या 67/47 में 1.582 हैक्टे0 आराजी तेज प्रताप सिंह प्रतिवादी संख्या 01 के नाम से दर्ज प्रदुमन सिंह वादी संख्या 01 के हिस्सा में आयी है। इसलिए वादी संख्या 01 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तेजप्रताप सिंह का नाम विलोपित किया जावे।

(ख) पटवार हल्का 8 एच एच, चक 12 एच एच के खाता संख्या 77/2 में प्रदुमन सिंह वादी संख्या 01 के नाम दर्ज 0.982 हैक्टे0 मे 0.567 है0 हिस्सा यथावत् रखा जाकर शेष 0.415 हिस्सा एवं सुखविन्द्र कौर वादी संख्या 02 के नाम दर्ज 0.982 है0 आराजी का सम्पूर्व हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 तेज प्रताप सिंह को हिस्सा में प्राप्त हुई है। इस प्रकार तेजप्रताप सिंह प्रतिवादी संख्या 01 को इस खाता में 1.397 हैक्टे0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व सुखविन्द्र कौर वादी संख्या 02 का नाम विलोपित किया जावे।

(ग) पटवार हल्का 8 एच एच, चक 10 एच एच के खाता संख्या 79/60 में राजवीर कौर प्रतिवादी संख्या 03 के नाम से दर्ज 1.580 हैक्टे0 आराजी सुखविन्द्र कौर वादी संख्या 02 को प्राप्त हुई है। प्रतिवादी सं0 02 खुशदीप कौर का हिस्सा यथावत रहेगा। इसलिए सुखविन्द्र कौर वादी सं0 02 को इस खाता में 1.580 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा राजवीर कौर प्रतिवादी सं0 03 का नाम इस खाता से विलोपित किया जावे।

(घ) पटवार हल्का 8 एच एच, चक 10 एच एच के खाता संख्या 105/82 में प्रदुमन सिंह वादी संख्या 01 के नाम से दर्ज 2.371 है0 आराजी प्रतिवादी संख्या 01 तेजप्रताप सिंह को प्राप्त हुई है। सुखविन्द्र कौर वादी संख्या 02 के हिस्से में से 1.518 हैक्टे0 आराजी राजवीर कौर प्रतिवादी संख्या 03 को प्राप्त हुई है। इसलिए इस खाता में से तेज सिंह प्रतिवादी संख्या 01 को 2.371 हैक्टे0 आराजी का खातेदार घोषित किया जावे एवं राजवीर कौर प्रतिवादी संख्या 03 को इस खाता में 1.518 हैक्टे0 आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रदुमन सिंह वादी संख्या 01 का नाम इस खाता से विलोपित किया जावे तथा सुखविन्द्र कौर वादी संख्या 02 का हिस्सा यथावत रखा जावे।

(ड) चक 11 एम एल के खाता संख्या 61/16 में प्रतिवादी संख्या 01 तेजप्रताप सिंह के नाम से 1.550 हैक्टे0 आराजी वादी संख्या 01 प्रदुमन सिंह को हिस्सा में प्राप्त हुई है। इसलिए इस खाता में 1.550 हैक्टे0 आराजी का वादी संख्या 01 प्रदुमन सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 01 तेजप्रताप सिंह का नाम इस खाता में विलोपित किया जावे।

दिनांक 17.01.2023 को जवाब राज्य पक्ष प्रस्तुत।

दिनांक 17.01.2023 पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों क्रमशः चक 10 एच एच पटवार हल्का 8 एच एच भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत 2074—2076 के खाता संख्या 67/47, 79/60 व 105/82 एवं चक 12 एच एच पटवार हल्का 8 एच एच भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070—2073 के खाता संख्या 77/2 तथा चक 11 एम एल पटवार हल्का लठावली भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नेतेवाला तहसील व जिला

सहायक कलक्टर एव कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 के खाता संख्या 61/16 की प्रमाणित प्रतियों के आधार पर एवं पारिवारिक बंटवारा/राजीनामा अनुसार वाद वादीगण स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सहमति/राजीनामा के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 को निम्न प्रकार से खातेदार घोषित किया जाता है–

(क) पटवार हल्का 8 एच एच, चक 10 एच एच के खाता संख्या 67/47 में 1.582 हैक्टे0 आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 तेज प्रताप सिंह का नाम कलमजन कर वादी संख्या 01 प्रदुमन सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

(ख) पटवार हल्का 8 एच एच, चक 12 एच एच के खाता संख्या 77/2 में वादी संख्या 01 प्रदुमन सिंह के नाम दर्ज 0.982 हैक्टे0 मे 0.567 है0 हिस्सा यथावत् रखा जाकर शेष 0.415 हिस्सा एवं वादी संख्या 02 सुखविन्द्र कौर के नाम दर्ज 0.982 है0 आराजी के सम्पूर्ण हिस्सा में वादी संख्या 02 सुखविन्द्र कौर का नाम कलमजन कर प्रतिवादी संख्या 01 तेज प्रताप सिंह को इस खाता में 1.397 हैक्टे0 आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

(ग) पटवार हल्का 8 एच एच, चक 10 एच एच के खाता संख्या 79/60 में प्रतिवादी संख्या 03 राजवीर कौर के नाम से दर्ज 1.580 हैक्टे0 आराजी में प्रतिवादी संख्या 03 राजवीर कौर का नाम कलमजन कर सुखविन्द्र कौर वादी सं0 02 को इस खाता में 1.580 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी सं0 02 खुशदीप कौर का हिस्सा यथावत रखा जाता है।

(घ) पटवार हल्का 8 एच एच, चक 10 एच एच के खाता संख्या 105/82 में वादी संख्या 01 प्रदुमन सिंह के नाम से दर्ज 2.371 है0 आराजी में से वादी संख्या 01 प्रदुमन सिंह का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 01 तेजप्रताप सिंह को खातेदार घोषित किया जाता है तथा वादी संख्या 02 सुखविन्द्र कौर के हिस्से में से 1.518 हैक्टे0 आराजी प्रतिवादी संख्या 03 राजवीर कौर को प्राप्त हुई है। प्रतिवादी संख्या 03 राजवीर कौर को इस खाता में 1.518 हैक्टे0 आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादी संख्या 02 सुखविन्द्र कौर का शेष हिस्सा यथावत रखा जाता है।

(ड) चक 11 एम एल के खाता संख्या 61/16 में प्रतिवादी संख्या 01 तेजप्रताप सिंह के नाम से दर्ज 1.550 हैक्टे0 आराजी में से प्रतिवादी संख्या 01 तेजप्रताप सिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 01 प्रदुमन सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करें। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवं उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किए जाने पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

निर्णय खुले खुले न्यायालय में, सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 10 फरवरी, 2023 को जारी किया गया।

जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर
(प्रशिक्षु आई.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

डिक्री
(ORDER 20 RULE 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्री जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर, प्रशिक्षु आई.ए.एस

वादपत्र संख्या 139/2021
अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. प्रदुमन सिंह पुत्र अंग्रेज सिंह जाति जटसिख निवासी 12 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
2. सखविन्द्र कौर पत्नी अंग्रेज सिंह जाति जटसिख निवासी 12 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) ....वादीगण

ब ना म

1. तेज प्रताप सिंह पुत्र अंग्रेज सिंह जाति जटसिख निवासी 12 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
2. खुशदीप कौर पत्नी प्रदुमन सिंह पुत्र अंग्रेज सिंह जाति जटसिख निवासी 12 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
3. राजवीर कौर पत्नी तेज प्रताप सिंह जाति जटसिख निवासी 12 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर (राज0) ...प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री फलभूर सिंह (वादीगण 1–2)
श्री राज पैरोकार (प्रतिवादी 4)

दिनांक 10 फरवरी, 2023

वादपत्र संख्या 139/2021
अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादीगण अधिवक्ता श्री फलभूर सिंह व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3, पैरोकार राज प्रतिवादी–4 की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि –

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर (क) पटवार हल्का 8 एच एच, चक 10 एच एच के खाता संख्या 67/47 में 1.582 हैक्टे0 आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 तेज प्रताप सिंह का नाम कलमजन कर वादी संख्या 01 प्रदुमन सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

(ख) पटवार हल्का 8 एच एच, चक 12 एच एच के खाता संख्या 77¹/2 में वादी संख्या 01 प्रदुमन सिंह के नाम दर्ज 0.982 हैक्टे0 मे 0.567 है0 हिस्सा यथावत् रखा जाकर शेष 0.415 हिस्सा एवं वादी संख्या 02 सुखविन्द्र कौर के नाम दर्ज 0.982 है0 आराजी के सम्पूर्ण हिस्सा में वादी संख्या 02 सुखविन्द्र कौर का नाम कलमजन कर प्रतिवादी संख्या 01 तेज प्रताप सिंह को इस खाता में 1.397 हैक्टे0 आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

(ग) पटवार हल्का 8 एच एच, चक 10 एच एच के खाता संख्या 79/60 में प्रतिवादी संख्या 03 राजवीर कौर के नाम से दर्ज 1.580 हैक्टे0 आराजी में प्रतिवादी संख्या 03 राजवीर कौर का नाम कलमजन कर सुखविन्द्र कौर वादी सं0 02 को इस खाता में 1.580 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी सं0 02 खुशदीप कौर का हिस्सा यथावत रखा जाता है।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

(घ) पटवार हल्का 8 एच एच, चक 10 एच एच के खाता संख्या 105/82 में वादी संख्या 01 प्रदुमन सिंह के नाम से दर्ज 2.371 है0 आराजी में से वादी संख्या 01 प्रदुमन सिंह का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 01 तेजप्रताप सिंह को खातेदार घोषित किया जाता है तथा वादी संख्या 02 सुखविन्द्र कौर के हिस्से में से 1.518 हैक्टे0 आराजी प्रतिवादी संख्या 03 राजवीर कौर को प्राप्त हुई है। प्रतिवादी संख्या 03 राजवीर कौर को इस खाता में 1.518 हैक्टे0 आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादी संख्या 02 सुखविन्द्र कौर का शेष हिस्सा यथावत रखा जाता है।

(ड) चक 11 एम एल के खाता संख्या 61/16 में प्रतिवादी संख्या 01 तेजप्रताप सिंह के नाम से दर्ज 1.550 हैक्टे0 आराजी में से प्रतिवादी संख्या 01 तेजप्रताप सिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 01 प्रदुमन सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। अतः डिक्री जारी की जाती है।

रूपये ...शून्य ....वास्ते...शून्य. ....खर्चा इस प्रकरण पर हुऐ व्यय मय ब्याज..शून्य..... दर वार्षिक ..शून्य .....आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 10 फरवरी, 2023 को जारी की गयी.

जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर
(प्रशिक्षु आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनाम	00.00
स्टाम्प वकालतनाम	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	00.00	कुल	00.00

जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर
(प्रशिक्षु आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner